Jansatta   Edition Delhi
24.1.2017 Page 10
Height 17.93cm Width 8.07 cm

सभी आधार पहचान उपकरणों का पंजीकरण होगा अनिवार्य

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अगले चार से पांच महीनों में आधार के बायोमीट्रिक पहचान चिन्हों को पढ़ने में सक्षम सभी उपकरणों का पंजीकरण अनिवार्य कर सकता है। इसके लिए इन उपकरणों के विनिर्माण के दौरान ही उनमें आधार से जुड़े कूट संदेश जोड़ दिए जाएंगे जो उनके पंजीकरण के तौर पर उपयोग किए जा सकेंगे।

अभी इस तरह के सभी उपकरण एसटीक्यूसी से प्रमाणित होते हैं। लेकिन प्राधिकरण की कूटभाषा इसमें एक और सुरक्षा दीवार खड़ी कर देगी और जब इस तरह के उपकरण बायोमीट्रिक आधारित डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग किए जाएंगे तो वह सुरक्षित लेन-देन में सक्षम होंगे। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कहा कि आधार पहचान के लिए भारत में केवल पंजीकृत उपकरण ही उपयोग किए जाएंगे। अगर आप आधार को डाटा पहचान इत्यादि के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आपके उपकरण को प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना चाहिए। पांडे ने कहा कि प्राधिकरण में पंजीकृत उपकरण से आशय है कि उस उपकरण के निर्माण के दौरान ही आधार कूट संदेश उसमें भर दिया जाएगा।